आदेश	कार्यवाही विवरण	क्रमांक
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय आदेश के क्रम में पत्रावली प्रस्तुत की गयी। तथ्य दृष्टिगत पत्रावली का क्रम उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है व आवेदकगण को लिखे जाने वाले निबन्धन को मान्य किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। ::आदेश:: पार्थना पत्र अस्थाई निबन्धन स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक को लिखे अस्थाई निबन्धन को मान्य किया जाता है कि वे आवेदी आवेदी तक ग्राम आवास रहित भूमि खसरा नंबर 1098 के अंतर्गत में मौके की उपस्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश कटाई / बेदखली / कब्जा नोटिस अस्थिगत भूमि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली बोर्ड अग्रिम कार्यवाही आदेश दिनांक 13/08/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुरकलाँ	
	13/8 पत्रावली पेश बद पीठासीन अधिकारी होवय दी ... है। अतः पत्र ... कार्यवाही दिनांक 13/8/25 को पेश हो।	
	10/2/21 पत्रावली पेश बद पीठासीन अधिकारी महोदय ... है। अतः पत्र ... कार्यवाही दिनांक 28/10/21 को पेश हो।	